500 से अधिक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है

2016 से सख्त रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) लागू हुआ

रेरा की कसौटी पर बिहार का रियल इस्टेट सेक्टर

आशियाने के सपने से नहीं हो सकेगा छल

बढ़ी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की रफ्तार

शो-कॉज का भी प्रावधान

रेरा के मुख्य कार्य

- खरीदारों के अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण के कारगर कदम
- रियल एस्टेट एवं हाउसिंग सेक्टर डिजिटाइज व्यवस्थित करना
- परियोजनाओं में पारदर्शिता और निवेश पारिस्थितिक माहौल
- बिल्डर व परियोजना समीक्षा सभी प्रकार की जानकारियां एवं विवरण एवं शिकायतों का प्रभावी कारगर
- अधिक न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का 60 दिनों के भीतर समाधान
- न सिर्फ खरीदार बल्कि एजेंट और डील के माध्यम से बिहार के भी अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान

रेरा के खाते में आकंड़ों से प्रोजेक्ट

500 पूर्व सीएम का उनके अधिकार जब रियलाइजेशन होने वाला भूमि क्रेय अथवा आठ फ्लैट से अधिक की बिक्रिया

रेरा के मुख्य उद्देश्य

- खरीदारों के अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण के कारगर कदम
- रियल एस्टेट एवं हाउसिंग सेक्टर डिजिटाइज व्यवस्थित करना
- परियोजनाओं में पारदर्शिता और निवेश पारिस्थितिक माहौल
- बिल्डर व परियोजना समीक्षा सभी प्रकार की जानकारियां एवं विवरण एवं शिकायतों का प्रभावी कारगर
- अधिक न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का 60 दिनों के भीतर समाधान
- न सिर्फ खरीदार बल्कि एजेंट और डील के माध्यम से बिहार के भी अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान

प्रॉपर्टी डीलरों पर भी कसा जा रहा शिकंजा

बढ़ी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की रफ्तार

नहीं मिली स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की सूची

रियल इस्टेट पर 12% जीएसटी

ऐसे काम करेगा रेरा

- बिल्डरों का परियोजना रजिस्ट्रेशन के साथ ही खरीदारों के लिए अधिकार विवरण रजिस्टर प्रकाशन करवाना
- बिल्डरों द्वारा खरीदारों से ली गयी कुल राशि का 70 प्रतिशत एक अलग बैंक खाते में जमा कराना, इस राशि की निकासी प्रोजेक्ट के निर्माण के अनुपात में सुनिश्चित करना
- अधिनियम के प्रावधान तथा अधिनियम व्यवस्थापन की स्थापना करना, जो अथॉरिटी व एडजुडीकेटिंग प्राधिकार के फैसलों से संबंधित सुनवाई करेगा
- बिल्डर द्वारा परियोजना को पूरा करने या कोई और वजह से निर्माण न करने पर ग्राहक के तौर पर शिकायतों में दी हुई राशि वापस या भुगतान सुनिश्चित करवाना, यदि खरीदार बिल्डर के खिलाफ निर्माण विलंब के भुगतान में विलंब करे तो उन्हीं दर से बिल्डर को भुगतान सुनिश्चित करवाना

रजिस्ट्रेशन बढ़ाने को उठाये जा रहे नये कदम

संविदा पर लीगल व आईटी सलाहकार हो रहे बहाल

नहीं हो पा रही शिकायतों की सुनवाई

खरीदार व बिल्डर दोनों के अधिकारों की रक्षा का इंतजाम

प्रावधानों का अतिरिक्त प्रचार-प्रसार किये जाने की जरूरत

अगस्त के बाद भरना पड़ेगा हर्जाना

रेरा अनुबंध के लिए केवल 450 बिल्डरों ने दिये आवेदन

जिले में एक हजार से अधिक चल रहे हैं प्रोजेक्ट

रेरा में नहीं आने तो जुर्माने के साथ हो सकती है तीन वर्षों की सजा

आखिर क्यों नहीं आ रहे बिल्डर

जिले के 150 बिल्डरों को दिया गया है नोटिस

रिपोर्ट : सुनील कुमार, अभिनंदन त्रिवेदी
लेआउट डिजाइन : आनंद नाथ

Scanned by CamScanner